तारीख हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ — हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज — बनाम तहसीलदार रामगढ़ व अन्य जगराम	नम्बर अहकाम हुक्म की में जारी हु
	धारा 177 RTA मु.नं. 3/11	
28/6/18	आज यह प्रकरण रामगढ़ व्यक्ति अपील अधिकारी व्यास आपके द्वारा बीच गढ़वार व रामगढ़ पर पेश हुआ। पक्षकार आदि अवलोकन किया गया एवं सुनवाई की गयी। तहसीलदार रामगढ़ की ओर से यह प्रकरण विलम्ब गैरसामान्य इन तथ्यों के साथ पेश किया है कि ग्राम गढ़वदन 2 के खाता 4355 खसरा 01 बीघा 9 बिस्वा किस्म बारानी गैरमुमकिन पट्टा प्रतिवादीगण के वारे गयी थी है आराजी है मे रेत खोदकर व अवैध रूप से खेत में से मिट्टी खोदकर डेरा पाने के लिए बेचकर की है जो इस मामले इसी मामले में रामपुर व कस्बा गढ़वदन रामगढ़ के किस्म जिसे अपनी मिट्टी खोदकर ट्राली भरकर बेचकर प्रिय है जिससे रामचन्द्र कस्बी अधिनियम की धारा 177 के तहत उक्त आदेश निवारण पर्ट किया गया

इसके अपने आप में यह की तथ्य पर्याप्त का अवलोकन किया गया पत्रावली तथ्य एवं अन्य कागजात इस बात गया कि मौके में भूमि पर कार्य रोके हुए है जिससे प्रार्थी का प्रकरण आदि होता है क्योंकि कृषि भूमि खुदाई की है कृषि के काम आ रही है। कृषि प्रार्थना पत्र धारा 177 RT A आदि न होने के कारण इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर अपील रद्द की जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (अलवर)
राजीखेड़ा (अलवर)